Additional Attachment- 2-2

परियोजना का नाम :– राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र नैनीताल के विकास खण्ड बेतालघाट के अन्तर्गत पॉगकटारा से खलाड़ तक मोटर मार्ग का नव निमार्ण।

<u>प्रारुप–5</u>

परियोजना की वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति का प्रमाण–पत्र

प्रस्तावित परियोजना हेतु निर्गत शासकीय वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति की छायाप्रति प्रमाणित कर संलग्न है। यदि कतिपय परियोजनाओं की एकमुश्त स्वीकृति प्राप्त हो तो प्रस्तावित परियोजना की स्वीकृति को हाई लाईट किया जाय।

ह0/
प्रयोक्ता एजेन्सी

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
नैनीताल।

(3)

संख्या–304/III(2)/17–58(एम0एल0ए0)/2017

प्रेषक,

एस0एस0 टोलिया,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

प्राप्ति सं0 571
[illegible] 1286
दिनांक 17–11–17

लोक निर्माण अनुभाग 2

देहरादून : दिनांक 15 नवंबर, 2017

विषय– वित्तीय वर्ष 2017–18 में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र–नैनीताल के अन्तर्गत विभिन्न 03 निर्माण कार्यों हेतु प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी द्वारा संलग्न विवरण में उल्लिखित कुल 03 मोटर मार्गों हेतु उपलब्ध कराये गये प्रथम चरण के आगणनों, जिसकी कुल लम्बाई 19.00 किमी0 तथा लागत ₹ 248.94 लाख है, पर विभागीय टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत औचित्यपूर्ण धनराशि ₹ 248.94 लाख (₹ दो करोड़ अड़तालीस लाख चौरानबे हजार मात्र) की प्रशासकीय तथा वित्तीय एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में व्यय हेतु प्रति कार्य ₹ 0.10 लाख (₹ दस हजार मात्र) अर्थात कुल 03 कार्यों हेतु ₹ 0.30 लाख (₹ तीस हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(i) उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त शासनादेश सं0–1764/III(2)/10–17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(ii) आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों का जो दरें शैड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iii) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि में बचत हो रही है तो उसका [illegible] विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

(iv) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना [illegible]।

(v) आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(vi) स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेन्ट रूल्स–2017 एवं उक्त के विषय में समय–समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मैनुअल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(vii) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0–2047/XIV–219(2006) दिनांक 30–05–2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(viii) [illegible] स्वीकृत आगणन में एल0पी0वी0, भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि मदों व

छाया प्रति प्रमाणित

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
नैनीताल

[illegible] प्राविधानित [illegible]

(ix) स्वीकृत किये जा रहे कार्यों की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

(x) वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31–03–2018 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय सम्बन्धित मद में निवर्तन में रखी गई धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।

(xi) यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्यों में से कोई कार्य प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत है अथवा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की जा सकती है, तो ऐसे कार्य की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

(xii) विषयगत कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 में व्यय हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि ₹ 0.30 [illegible] वित्त अनुभाग–1 के शासनादेश सं0–183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च, 2012 के अनुपालन में, लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0–22, के अन्तर्गत अलॉटमेन्ट आई0डी0 संख्या 51711220092 दिनांक 14 नवंबर, 2017 के द्वारा आपको आवंटित कोड सं0–4227 Chief Engineer PWD [illegible] किया गया है।

(2) इस संबंध मे होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0–22–लेखाशीर्षक–5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय–04 जिला तथा अन्य सड़के– 337–सड़क निर्माण कार्य–03 राज्य सेक्टर–02 नया निर्माण कार्य–24 वृहत निर्माण कार्य (5054–04–800–03–02 से स्थानान्तरित)के नामे डाला जायेगा ।

(3) यह आदेश वित्त अनुभाग–2 के अशासकीय संख्या–506/XXVII/(2)/2017 दिनांक 13 नवंबर, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस0एस0 टोलिया)
संयुक्त सचिव

संख्या– 3601 /III(2)/17–58(एम0एल0ए0)/2017 तददिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. निजी सचिव, सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड सरकार।
3. आयुक्त, कुमांऊ मण्डल, नैनीताल।
4. जिलाधिकारी, नैनीताल।
5. मुख्य अभियन्ता, लोनिवि0, हल्द्वानी।
6. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जनपद देहरादून/नैनीताल।
7. ~~निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।~~
8. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
9. अधीक्षण अभियन्ता, द्वितीय वृत्त, लोक निर्माण विभाग, नैनीताल।
10. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रामनगर/नैनीताल।
11. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(जीवन सिंह)
उप सचिव

True Copy Attested
AE

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो0नि0विभाग
नैनीताल

(5)

शासनादेश संख्या-304/III(2)/17-58(एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 15 नवंबर, 2017 का संलग्नक

(धनराशि लाख ₹ में)

कार्य का नाम	लम्बाई (किमी0 में)	विभागीय टी0ए0सी0 द्वारा अनुमोदित लागत	चालू वित्तीय वर्ष में अवमुक्त की जा रही धनराशि।
जनपद नैनीताल में विधान सभा क्षेत्र-नैनीताल के विकासखण्ड [illegible] के अन्तर्गत ग्राम ओला से जलना प्राथमिक विद्यालय से होकर लोहार पानी तोक में मुख्य [illegible] मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	7.00	34.44	0.10
राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र-नैनीताल के विकासखण्ड बेतालघाट के अन्तर्गत पांगकटार से खलाड़ तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	3.00	43.50	0.10
जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र नैनीताल के विकासखण्ड रामगढ़ के अन्तर्गत चमड़िया-छियोड़ी मोटर मार्ग के किमी0 2 से जौरासी गौड़ा होते हुए बेडुली तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	9.00	171.00	0.10
कुल	19.00	248.94	0.30

(कुल ₹ तीस हजार मात्र)

(जीवन सिंह)
उप सचिव,

Photo copy attested
[signature]

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0विभाग
नैनीताल